न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस

म्यूटेशन अपील संख्या –38/2016

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. मेहराज खां पुत्र हाजी आबदार खां जाति देशवाली मुसलमान, निवासी ग्राम उंटडा तहसील अजमेर, जिला अजमेर। 2. श्रीमति जेबुननिशा पत्नि इस्लामुदीन जाति देशवाली मुसलमान, निवासी ग्राम पीपलाद तहसील परबतसर जिला नागौर		1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र जगदीशसिंह जाति राजपूत निवासी गोगामेडी तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ राज. हाल निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील परबतसर जिला नागौर 2. सरपंच ग्राम पंचायत पीपलाद, तहसील परबतसर 3. ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत पीपलाद, तहसील परबतसर जिला नागौर 4. जालाराम पुत्र उमाराम जाति जाट निवासी ग्राम पीपलाद, तहसील परबतसर जिला नागौर 5. तहसीलदार परबतसर, जिला नागौर

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री रामकिशोर गुण्डेल।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या–5 की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय दिनांक : 05-02-2018

अपीलांट्स ने यह अपील 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। अपीलान्ट्स द्वारा ग्राम पीपलाद तहसील परबतसर का म्यूटेशन संख्या 101 जो तहसीलदार परबतसर द्वारा दिनांक 18.02.2016 को स्वीकृत किया गया है, से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 11.03.2016 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील ताबे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर, अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया व रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया। वकील अपीलान्टस् ने मियाद प्रार्थना–पत्र के साथ अपना शपथ–पत्र पेश किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 ने बावजूद तामिल के हस्तगत प्रकरण की सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

राजपैरोकार ने प्रकरण में बहस अंतिम सुने जाने से पूर्व कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में म्यूटेशन जैर अपील के कॉलम संख्या 14 से 16 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर द्वारा निर्णय दिनांक 05.01.2016 की पालना में नामा. दर्ज कर वास्ते जांच व निर्णय हेतु पेश करने का नोट अंकित है। प्रकरण में अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी परबतसर के निर्णय दिनांक 05.01.2015 की प्रस्तुत प्रति के अनुसार उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 05.01.2015 को ही पारित किया गया है। म्यूटेशन जैर अपील के कॉलम संख्या 14 से 16 में अंकित नोट में सहवन से एंव लिपिकीय त्रुटी से उपखण्ड अधिकारी परबतसर द्वारा पारित निर्णय की दिनांक 05.01.2015 के स्थान पर 05.01.2016 गलत अंकित हो गई है। अपीलांट ने भी अपनी अपील के पैरा संख्या 1 में कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना ही चुपचाप केवल ग्राम पंचायत पीपलाद को पक्षकार बनाकर निर्णय दिनांक 05.01.2015 को पारित कर अपीलांट्स के हक में नामान्तरकरण संख्या 1146 व 1161 को खारिज कर तहसीलदार परबतसर को आदेश दिया कि अपीलांट्स के पक्ष

में खसरा नम्बर 178, 179 की सम्पूर्ण भूमि का नामान्तरकरण दर्ज किया जावें। वकील अपीलांट्स के उक्त कथन से भी स्पष्ट है कि म्यूटेशन जैर अपील के कॉलम संख्या 14 से 16 में निर्णय दिनांक 05.01.2015 के स्थान पर 05.01.2016 का गलत अंकन हो गया है। अतः हस्तगत प्रकरण से संबंधित म्यूटेशन जैर अपील में कॉलम संख्या 14 से 16 में निर्णय दिनांक 05.01.2016 के स्थान पर 05.01.2015 मानी जाकर निर्णय किया जाना उचित है। वकील अपीलांट्स ने भी कथन किया कि म्यूटेशन जैर अपील उपखण्ड अधिकारी परबतसर के निर्णय दिनांक 05.01.2015 की अनुपालना में ही भरा गया है।

वकुलाय के उक्त कथनों से स्पष्ट है कि म्यूटेशन जैर अपील के कॉलम संख्या 14 से 16 में उपखण्ड अधिकारी परबतसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.01.2015 के स्थान पर लिपिकीय त्रुटीवश 05.01.2016 अंकित हो गई है। अतः प्रकरण में निर्णय दिनांक 05.01.2015 मानी जाकर निर्णय पारित किया जाना उचित है।

वकील अपीलान्टस् ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट्स के विरूद्ध निर्णय दिनांक 05.01.2015 को उक्त विवादित कृषि भूमि के म्युटेशन का पारित अपीलांट्स को पक्षकार बनाये बिना एंव सुनवाई किये बिना ही पारित किया गया है, जिससे अपीलांट्स को निर्णय दिनांक 05.01.2015 की जानकारी नहीं रही। अपीलांट्स नं. 1 दिनांक 04.03.2016 को पटवारी हल्का पीपलाद के पास नकल जमाबंदी लेने गया, तब उक्त निर्णय दिनांक 05.01.2015 तथा म्युटेशन संख्या 101 स्वीकृत दिनांक 18.02.2016 की जानकारी हुई तो उसके विरूद्ध अपील पेश करने के लिए नकले प्राप्त कर नागौर आया जो तमाम नकले लाने का अधिवक्ता द्वारा कहने पर परबतसर जाकर नकले लेकर आया एंव यह अपील मुकदमा संख्या 13/2015 के विरूद्ध जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है, इसलिए अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का कथन करते हुऐ अपीलांट्स की अपील देरीना को माफ करते हुए अन्दर मियाद जानकारी से शुमार की जाकर गुणावगुण (मेरिट) पर सुनवाई किये जाने का निवेदन किया।

राजपैरोकार श्री कुन्दसिंह आचीणा ने वकील अपीलांट्स की बहस का विरोध करते हुए अपील मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर विश्वास करते हुए न्यायहित में इस अपील का गुणावगुण के आधार पर सुनवाई कर निर्णय पारित किया जाना उचित है। अतः अपीलान्ट की अपील पर मेरिट पर सुनवाई की गई।

वकुलाय बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 सुरेन्द्र सिंह ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रस्तुत कर दर्शाया कि ग्राम पीपलाद के खसरा नम्बर 82/1 मीन रकबा 15 बीघा की खातेदारी पहले उगमाराम उर्फ उमाराम के नाम से दर्ज थी, जिसके नये खसरा नम्बर 178 रकबा 2.43 हैक्टर है, खेत खसरा नम्बर 82 मीन रकबा 15 बीघा खातेदारी पहले माधुराम उर्फ मादूराम के नाम दर्ज थी, जिसके नये खसरा नम्बर 179 रकबा 2.43 हैक्टर है। खातेदार उमाराम व माधुराम की मृत्यु हो चुकी है। उमाराम व माधुराम ने अपनी संपूर्ण खातेदारी की भूमि का बेचान दिनांक 06.08.2015 को महेश प्रसाद गुप्ता पुत्र सी.एल.गुप्ता के पावर ऑफ एटार्नी होल्डर त्रिलोचनसिंह के पक्ष में निष्पादित कर दी है। सम्पूर्ण भूमि का मालिक महेश प्रसाद गुप्ता हो चुका है तथा बेचान के बाद राजस्व कर्मचारियों ने उपरोक्त खरीदसुदा भूमि का नामान्तरकरण महेश प्रसाद गुप्ता के नाम दर्ज नहीं किया गया है। महेश प्रसाद गुप्ता को उमाराम व माधुराम द्वारा उक्त खसरों की सम्पूर्ण 30 बीघा भूमि का बेचान करने के बाद उनके पास कुछ भी भूमि शेष नहीं रहीं थी, खरीद के दिन के बाद से ही उक्त भूमि के समस्त खातेदारी अधिकार बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ से महेश प्रसाद गुप्ता हो चुके है। खरीद के दिन नहीं कब्जा महेश प्रसाद गुप्ता को सुपुर्द किया। उमाराम की

मृत्यु के बाद उसके वारिसान ने जमाबंदी के नाम का फायदा उठाते हुए महेश प्रसाद गुप्ता को बेची गई भूमि का एक और बेचाननामा मेहराज खां के पक्ष में दिनांक 19.10.2010 को निष्पादित कर दिया तथा माधूराम ने भी महेश प्रसाद गुप्ता को बेची गई भूमि का एक और बेचाननामा दिनांक 25.11.2008 को आम मुख्त्यार हेमाराम के मार्फत जेबुननिशा के पक्ष में निष्पादित कर दिया, दोनो बेचान अवैध व शून्य है। महेश प्रसाद गुप्ता ने अपनी खरीदसुदा भूमि के दो अलग—अलग बेचाननामें अपीलांट्/रेस्पोडेंट संख्या 1 सुरेन्द्र सिंह के पक्ष में दिनांक 20.01.2012 को निष्पादित कर दिये तथा इन बेचाननामें का पंजीयन दिनांक 17.04.2012 को हुआ है। अपीलांट्स ने इन बेचाननामों के आधार पर जब अपना म्युटेशन दर्ज करवाने के लिये हल्का पटवारी से मिला तो जानकारी हुई कि उमाराम के वारिसान माधुराम ने इस भूमि का दुबारा बेचान कर दिया तथा जिसके पक्ष में बेचान किया गया है, उनका नाम खातेदारी में दर्ज हो रखा है, इसलिए आप म्युटेशन अपील करो इत्यादि अपील पेश करने पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना ही चुपचाप केवल ग्राम पंचायत पीपलाद को पक्षकार बनाकर निर्णय दिनांक 05.01.2015 को पारित कर अपीलांट्स के हक के नामान्तरकरण संख्या 1146 व 1161 को खारिज कर तहसीलदार परबतसर को आदेश दिया कि अपीलांट्स के पक्ष में खसरा नम्बर 178, 179 की सम्पूर्ण भूमि का नामान्तरकरण दर्ज किया जावे। उक्त निर्णय के म्युटेशन की जानकारी अपीलांट्स को दिनांक 04.03.2016 को होने पर नकले प्राप्त की एंव म्युटेशन नंम्बर 101 ग्राम पीपलाद के द्वारा अपीलांट्स का नाम हटा देने एंव अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही म्युटेशन नम्बर 101 ग्राम पीपलाद तहसीलदार परबतसर द्वारा दिनांक 18.02.2016 को स्वीकृत कर दिया, जो विधि विरूद्ध होने से अपीलांट्स की जानकारी के अन्दर मियाद होने से अपील प्रस्तुत की है।

लायक अदालत मातहत ने न्याय के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना कर न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत जाकर निर्णय/नामान्तरकरण संख्या 101 ग्राम पीपलाद स्वीकृत करने में कानूनी व वाक्याती भूल की है। लायक अदालत मातहत के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 सुरेन्द्रसिंह ने अपील अधीन धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत तथ्य प्रस्तुत कर अपीलांट्स के हक में बेचाननामा दिनांक 19.10.2010 तथा दिनांक 25.11.2008 के द्वारा जमाबंदी में अपीलांट्स का नाम दर्ज नहीं होने की जानकारी प्रस्तुत कर दी, तब अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से संज्ञान लेकर अपील में अपीलांट्स मेहराज खां एंव श्रीमति जेबुननिशा को पक्षकार बनाकर सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना विधि सम्मत होते हुए भी उक्त तथ्यों की अनदेखी कर तथा आदेश नियम 10 पी. प्र.स. की पालना नहीं कर निर्णय जैर अपील पारित करने में कानूनी व वाक्याती भूल की है, जिससे भी यह अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.01.2015 को खारिज किया जाना न्यायसंगत है। अपीलांट्स एक सद्भावी क्रेता है तथा मौके पर अपीलांट्स मेहराज खां एंव श्रीमति जेबुननिशा का कब्जा उपयोग भी है साथ ही अपीलांट्स ने भू खण्डों में खसरा नम्बर 82/1 मिन एंव 82 मिन पुराने एंव नये खसरा नम्बर 178, 179 मौजा पीपलाद का प्लान तैयार कर रखा है, जिससे भी काबिज अपीलांट्स को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना न्यायसंगत होते हुए भी राजस्व रेकर्ड में अपीलांट्सस का नाम हटाने में भारी भूल की तथा निर्णय दिनांक 05.01.2015 पारित करने में विधिक त्रुटी की है।

रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 सुरेन्द्रसिंह ने एक दीवानी वाद एंव अस्थायी व्यादेश का प्रार्थना पत्र भी श्रीमान् वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश परबतसर के न्यायालय में बेचाननामा दिनांक 25.11.2008 तथा दिनांक 19.02.2010 को अवैध घोषित करवाने व अस्थायी व्यादेश में अनुतोष में बेचान, रहन, हस्तांतरण आदि को चाहा गया है, जिससे भी यह प्रकट हो रहा है कि माननीय सिविल कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन होते हुए भी म्युटेशन नम्बर 101 के जरिए तहसीलदार परबतसर द्वारा नामान्तरकरण की कार्यवाही विधि विरुद्ध की है। घोषणा के वाद विचारण के दौरान राजस्व रेकर्ड में

परिवर्तन किया जाना भी अवैध व निष्प्रभावी होने से निर्णय दिनांक 05.01.2015 अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट्स ने दीवानी वाद के साथ अस्थायी व्यादेश के प्रार्थना पत्र में जवाब प्रस्तुत कर सही सही व वास्तविक स्थिति दर्शा दी गयी, जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 सुरेन्द्र सिंह को हो गया, फिर भी पीठ पीछे से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में प्रस्तुत कर बाला बाला ही निर्णय दिनांक 05.01.2015 पारित करवाया एंव उसकी आड से अपीलांट्स को बेदखल करने की नाकाम कोशिश की है साथ ही अपीलांट्स मेहराज खां व जेबूननिशा का नाम रेस्पोडेन्ट के रूप में ऐसे संयोजित किया जाना चाहिए था जो न्यायालय के समक्ष उपस्थिति अपील में अंतर्विलित सभी प्रश्नों का प्रभावी तौर पर और पूरी तरह न्याय निर्णयन और निपटारा करने के लिए न्यायालय को समर्थ बनाने की दृष्टि से आवश्यक था फिर भी पक्षकार नहीं बनाया गया। जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सुरेन्द्रसिंह कभी सफल नहीं हो सकता है। इसलिए म्युटेशन की समवर्ती कार्यवाही को करने का आदेश दिनांक 05.01.2015 एंव म्युटेशन नम्बर 101 दिनांक 18.02.2016 को अपास्त किया जाकर जमाबंदी संवत 2071 से 2074 में अपीलांट्स का नाम खातेदारी हक में यथावत रखा जाना विधि सम्मत है। इसलिए भी निर्णय दिनांक 05.01.2015 को अपास्त किया जाना विधिसंगत है।

अधिनस्थ न्यायालय ने मामला हाजा में अपीलांट के विरूद्व निर्णय दिनांक 05.01.2015 को पारित करने से पूर्व अथवा तहसीलदार परबतसर द्वारा म्युटेशन नम्बर 101 दिनांक 18.02.2016 के जरिये स्वीकृत करने से पूर्व विधिवत न तो नोटिस दिया गया एंव न ही सूचना दी गई। जिससे अपीलांट्स को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व नामान्तरकरण की कोई जानकारी नहीं रहीं। जिससे उक्त निर्णय व नामान्तरकरण के विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं कर सका। इसी के साथ में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उक्त अपीलांट्स के पक्ष में विक्रय पत्र दिनांक 25.11.2008 व दिनांक 19.02.2010 की शुरू से ही जानकारी रहते हुए भी अपील हाजा में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं बनाया है एंव दुर्भावनाग्रस्त होकर तथा विक्रय पत्र दिनांक 25.11.2008 व दिनांक 19.02.2010 से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 5 विबंध होते हुए भी जानबूझकर विधि विरूद्व अवैध व निष्प्रभावी आदेश व म्युटेशन पारित किया है, जो काबिल अपास्त किये जाने के है। नामान्तरकरण के पूर्व पटवारी हल्का पीपलाद अथवा भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके की जांच के समय अपीलांट्स को सूचना दिया जाना नियमानुसार आवश्यक होते हुए भी विधि की अवहेलना करने का कथन करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी परबतसर द्वारा मुकदमा नम्बर 13/2015 में निर्णय दिनांक 05.01.2015 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सुरेन्द्रसिंह के नाम वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण भरने के आदेश को निरस्त फरमाया जावे एंव सिविल वाद एंव समवती कार्यवाही के विचाराधीन रहते हुए किये आदेश को निष्प्रभावी घोषित कर जमाबंदी संवत 2071 से 2074 में अपीलांट्स का नाम यथावत इन्द्राज किये जाने की आज्ञा करने का निवेदन किया। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस के समर्थन में आरबीजे (7) 2000 पेज संख्या 476 एंव आरबीजे (9) 2002 पेज संख्या 108 न्यायिक दृष्टांत पेश कियें।

अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से राजपैरोकार ने अपनी बहस में वकील अपीलांट की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में म्युटेशन जैर अपील से संबंधित वादग्रस्त भूमि के संबंध में उपखण्ड अधिकारी परबतसर ने अपने निर्णय दिनांक 05.01.2015 के द्वारा ग्राम पीपलाद के वर्तमान खसरा नम्बर 178 रकबा 2.43 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 179 रकबा 2.43 हैक्टर जिसके पुराने खसरा नम्बर 82 मिन व 82 मिन कुल रकबा 30 बीघा भूमि बाबत दर्ज नामान्तरकरण संख्या 1146 व 1161 खारिज किये जाकर तहसीलदार परबतसर को हस्तगत प्रकरण के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सुरेन्द्रसिंह पुत्र जगदीशसिंह के पक्ष में खसरा नम्बर 178, 179 की सम्पूर्ण भूमि का नामान्तरकरण दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया। तहसीलदार परबतसर द्वारा उपखण्ड अधिकारी परबतसर के उक्त निर्णय दिनांक 05.01.2015 की पालना में ही म्यूटेशन जैर अपील स्वीकृत किया है, जो विधि

सम्मत होने से म्यूटेशन जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं होने का कथन करते हुए अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली एवं वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण में हूबहू चस्पा नहीं होते है। हस्तगत प्रकरण में म्युटेशन जैर अपील से संबंधित वादग्रस्त भूमि के संबंध में उपखण्ड अधिकारी परबतसर ने अपने निर्णय दिनांक 05.01.2015 के द्वारा ग्राम पीपलाद के वर्तमान खसरा नम्बर 178 रकबा 2.43 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 179 रकबा 2.43 हैक्टर जिसके पुराने खसरा नम्बर 82 मिन व 82 मिन कुल रकबा 30 बीघा भूमि बाबत दर्ज नामान्तरकरण संख्या 1146 व 1161 खारिज किये जाकर तहसीलदार परबतसर को हस्तगत प्रकरण के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सुरेन्द्रसिंह पुत्र जगदीशसिंह के पक्ष में खसरा नम्बर 178, 179 की सम्पूर्ण भूमि का नामान्तरकरण दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया। तहसीलदार परबतसर द्वारा उपखण्ड अधिकारी परबतसर के उक्त निर्णय दिनांक 05.01.2015 की पालना में ही म्यूटेशन जैर अपील स्वीकृत किया है, जो विधि सम्मत है।

अपीलांट्स ने सिविल न्यायालय परबतसर में बेचाना नामा दिनांक 25.11.2008 तथा दिनांक 19.02.2010 को अवैध घोषित करवाने व अस्थायी व्यादेश का वाद विचाराधीन होने का कथन किया है किन्तु उक्त संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी अपीलांट्स द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये है।

नामान्तरकरण एक फिसकल प्रोसिडिंग है, इससे खातेदारी अधिकार तय नहीं होते है एवं सक्षम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। साथ ही तहसीलदार, परबतसर को हस्तगत प्रकरण से संबंधित म्यूटेशन जैर अपील में कॉलम संख्या 14 से 16 में निर्णय दिनांक 05.01.2016 के स्थान पर 05.01.2015 नियमानुसार संशोधित करने हेतु कार्यवाही करने के निर्देशित किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। तहसीलदार परबतसर को हस्तगत प्रकरण से संबंधित म्यूटेशन जैर अपील में कॉलम संख्या 14 से 16 में निर्णय दिनांक 05.01.2016 के स्थान पर 05.01.2015 नियमानुसार संशोधित करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाते है। अधीनस्थ न्यायालय को उनका मूल नामान्तरकरण लौटाया जाकर निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर

नागौर (राजस्थान)